न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 440 सन 2020 / ऑन लाईन नम्बरः—2019 / 00420
अनवान :—

1. प्रेमकुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भोमाराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. तारूराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. सहीराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. बिदामी पत्नी पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. भवंरी पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
7. सन्तोष पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. निरमा पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. चन्द्रावती पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
10. कविता पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
11. मोनिका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
12. प्रियंका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :—26/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 7 / 3 की कुल 1.9100हैक्ट भूमि सयुक्त तौर से 1 / 3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पन्नाराम पुत्र शेराराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा शेराराम पुत्र श्योराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा शेराराम पुत्र श्योराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा शेराराम पुत्र श्योराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है पन्नाराम पुत्र शेराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र / पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 है जो पन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के हकदार है अर्थात वादी भूमि में पन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 प्रतिवादी संख्याा 1 ता 3 के साथ अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का पन्नाराम के देहान्त होने पर आपसी सहमति से परिवारिक समझौता हुआ था परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया गया था इसलिये वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता शेराराम पुत्र श्योराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है अर्थात शेराराम के देहान्त होने पर सयुक्त खाते में पन्नाराम के नाम से वाद भूमि दर्ज हुई है पन्नाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 है प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने पन्नाराम के देहान्त होने पर परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया था इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 7/3 की कुल 1.9100हैक्ट भूमि सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पन्नाराम पुत्र शेराराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा शेराराम पुत्र श्योराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा शेराराम पुत्र श्योराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा शेराराम पुत्र श्योराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है पन्नाराम पुत्र शेराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 है जो पन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के हकदार है अर्थात वादी भूमि में पन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 प्रतिवादी संख्याा 1 ता 3 के साथ अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का पन्नाराम के देहान्त होने पर आपसी सहमति से परिवारिक समझौता हुआ था परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया गया था इसलिये वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 7/3 की कुल 1.9100हैक भूमि सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पन्नाराम पुत्र शेराराम के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि शेराराम पुत्र श्योराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा शेराराम पुत्र श्योराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा शेराराम पुत्र श्योराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है

वादी के पिता पन्नाराम पुत्र शेराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 है जो पन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि पाने के हकदार है ।

वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है एवं वादी के पिता पन्नाराम के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने आपसी सहमति से हुए परिवारिक समझौते में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया था वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा वाद भूमि में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया गया है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 1.9100हैक में से सयुक्त तोर से 1/3 हिस्सा का वादी अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. प्रेमकुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भोमाराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. तारूराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. सहीराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. बिदामी पत्नी पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. भवंरी पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
7. सन्तोष पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. निरमा पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. चन्द्रावती पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
10. कविता पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
11. मोनिका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
12. प्रियंका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 440 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 1.9100हैक में से सयुक्त तोर से 1/3 हिस्सा का वादी अकेला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. प्रेमकुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भोमाराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. तारूराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. सहीराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. बिदामी पत्नी पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. भवंरी पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
7. सन्तोष पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. निरमा पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. चन्द्रावती पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
10. कविता पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
11. मोनिका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
12. प्रियंका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 440 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/10/2021

आज यह प्रार्थना पत्र मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पर्चा डिक्री दिनांक 26.10.2020 में रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 1.9100हैक्ट अंकित है के स्थान पर रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 7/3की कुल 1.9100हैक्ट सशेंधित किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner